67

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एस0एस0 अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक-1717-दो/2011 विरूद्ध आदेश दिनांक 28-07-2011 पारित द्वारा अपर आयुक्त चंम्बल सम्भाग, मुरैना प्रकरण क्रमांक-205/2009-10/अपील

.....

नन्ना बेग पुत्र बशीर खां

निवासी-गॉधीनगर, श्योपुर

तहसील व जिला- श्योपुर (म0प्र0)

-----आवेदक

विरूद्ध

1- इरफान पुत्र श्री कमरूद्दीन

निवासी-ग्राम ज्वालापुरा तहसील व जिला-श्योपुर

2- हबीब पुत्र बली मोहम्मद

निवासी-कण्डेल बाजार, श्योपुर

जिला-श्योपुर(म0प्र0)

3- मौजा पटवारी ग्राम नंदापुर, परगना श्योपुर
जिला-श्योपुर(म0प्र0)

----अनावेदकगण

.....

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, आवेदक
श्री सी0एस0 गुप्ता, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/4/18 को पारित)

यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग के आदेश दिनांक 28-07-2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम नन्दापुर में स्थित विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 69/6 रकबा 2 बीघा 15 विस्वा एवं सर्वे क्रमांक 72/14 रकबा 3 बीघा 10 विस्वा पर आवेदक की प्रविष्टि हो जाने से अनावेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 115-116 के अन्तर्गत खसरा इन्द्राज में हुई त्रुटि को दुरूस्त किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । जिस पर नायब तहसीलदार मानपुर द्वारा दिनांक 04.08.2009 से विवादित भूमियों पर से आवेदक के नाम की प्रविष्टि को निरस्त करते हुये विवादित भूमि को शासकीय घोषित किया गया । इसी आदेश से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो प्रकरण क्रमांक 113/2008-09/अपली माल

पर दर्ज की जाकर पारित आदेश दिनांक 20.09.2010 से निरस्त करते हुये तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.08.2009 यथावत रखा गया । अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.09.2010 से दुखी होकर आवेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त चंम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहॉ अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण क्रमांक 205/2009-10/अपील में आदेश दिनांक 28.07.2011 से ठोस आधार के आभाव में निरस्त किया गया । इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालयों अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है। अतः प्रकरण का निराकरण अभिलेखों के आधार पर किया जा रहा है।

4/ उभयपक्ष के तर्क सुने गये तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम नन्दापुर में स्थित विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 69/6 रकबा 2 बीघा 15 विस्वा एवं सर्वे क्रमांक 72/14 रकबा 3 बीघा 10 विस्वा पर खसरा इन्द्राज करते समय त्रुटिवश आवेदक का नाम इन्द्राज कर दिया गया, जिसे दुरूस्त कराने हेतु अनावेदकगण ने तहसील न्यायालय में संहिता की धारा 115-116 के तहत आवेदन पत्र दिया, जहॉ नायब

तहसीलदार ने 115-116 के तहत कार्यवाही प्रारंभ करते हुये विधिवत इश्तहार जारी कर आवेदक को सूचना पत्र तलब कराया । नायब तहसीलदार ने प्रकरण का सूक्ष्म परिक्षण करने के पश्चात आदेश पारित किया है। खसरे में यदि त्रुटिवश गलत प्रविष्टि हो गई है तो न्यायालय के संज्ञान में आने के बाद उसे दुरूस्त किया जा सकता है। जहॉ तक संहिता की धारा 115-116 का प्रश्न है तो संहिता की धारा 115 के तहत तहसीलदार को त्रुटि सुधार करने के अधिकार प्राप्त है एवं संहिता की धारा 116 के तहत हितबद्ध पक्षकार द्वारा त्रुटि सुधार किये जाने का आवेदन दे सकता है और आवेदन करने लिये समय सीमा 1 वर्ष निर्धारित है, किन्तु जहॉ शासकीय भूमि में गलत इन्द्राज चला आ रहा है और किसी व्यक्ति द्वारा शासन को इसकी जानकारी दी गई है तो उसे सुधार करने के लिये समय-सीमा वर्जित नहीं है। शासन में संज्ञान में आ जाने के बाद उस त्रुटि को दुरूस्त किया जा सकता है, यही स्थिति इस प्रकरण की भी है।

प्रकरण के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि विवादित भूमियों पर आवेदक का नाम किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज चला आ रहा था, जिसे तहसील न्यायालय द्वारा दुरूस्त कर विवादित भूमियों को शासकीय घोषित किया गया है, जो कि उचित निर्णय है, जिसमें कोई अनियमितता प्रकट नहीं होती । अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर एवं अपर आयुक्त

चम्बल संभाग, मुरैना ने अपने आदेश में विस्तारपूर्वक पूर्ण विवेचना करते हुये तहसील न्यायालय के आदेश को स्थिर रखा है। अतः तीनों अधिनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष होने से उसमें हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर दर्शित परिस्थिति को देखते हुये तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश विधिनुकूल होने से यथावत रखा जाता है तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश ,
ग्वालियर,